न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/4873/2006/बून्दी

1– बजरंगलाल पुत्र भैरूलाल मेघवाल (मृतक) जरिये का0मु0–
1/1. सूरजमल,
1/2. राजमल पिसरान बजरंगलाल जाति मेघवाल निवासी बोरदामाल तहसील केसोरायपाटन जिला बून्दी।
1/3. चाहन्या पुत्री बजरंगलाल पत्नि उदालाल मेघवाल निवासी अमरपुरा तहसील केसोरायपाटन जिला बून्दी।
1/4. लछमाबाई पुत्री बजरंगलाल पत्नि मोडूलाल जाति मेघवाल निवासी बालापुरा तहसील केसोरायपाटन जिला बून्दी।
..... **अपीलांट्स**

बनाम

1– पुष्पाबाई पुत्री जगन्नाथ (मृतक) जरिये का0मु0–
1/1. सत्यनारायण,
1/2. नन्दलाल,
1/3. स्वरूपनारायण,
1/4. रमेश पिसरान चर्तभुज जाति ब्राह्मण निवासी कोडक्या तहसील केसोरायपाटन जिला बून्दी।
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केसोरायपाट जिला बून्दी।
..... रैस्पोडेंट्स

खण्ड पीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलांट।
(2) श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1/1 ल0 1/4

निर्णय

दिनांक :16–10–2019

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06–06–2006 अपील सं0 54/2004 बउनवानी बजरंगलाल वगैरा बनाम पुष्पाबाई व अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचारण न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया

कि वादग्रस्त आराजी पर विगत 70 वर्षो से अपने पूर्वजों के समय से पहले काबिज काश्त करता चला आ रहा है तथा लगान एवं अन्य कर आदि तहसीलदार को जमा करवाता आ रहा है। राजस्व कर्मचारियों की गलती से राजस्व अभिलेखों में वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं0 1 का नाम गलत अंकित हो गया है जबकि प्रतिवादी सं0 1 रेस्पो0 का को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। वादी/अपीलांट को एडवर्श पजेशन के आधार पर भी बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। प्रतिवादी उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर वादी/अपीलांट को धमकी देता है और उसके कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत करते हैं। अतः वाद वादी डिक्री किया जावें। विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और कहा कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी का कब्जा है एवं वास्तविक खातेदार काश्तकार है। विचारण न्यायालय ने दावे व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए अपने निर्णय दिनांक 19-4-2004 को वादी का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 6-6-2006 के द्वारा अपीलांट की अपील खारिज कर दी गई जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 6-6-2006 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- विद्वान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4- विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट विगत 70 वर्षो से काबिज काश्त करता चला आ रहा है। पूर्व में उसके पिता काश्त करते थे एवं वर्तमान में वह स्वयं काश्त करता है तथा बतौर साक्ष्य अपीलांट की ओर से लगान की रसीदें, सिंचाई की रसीदें प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट के पास उक्त वादग्रस्त आराजी से अलावा अन्य कोई आराजी नहीं है और न ही रसीदों पर कभी खसरा नंबरों का अंकन किया गया है। अपीलांट ने सम्पूर्ण साक्ष्य तहत न्यायालय में प्रस्तुत की थी और स्वयं प्रतिवादी भी कभी भी बोरदामाल में नहीं रहे, हमेशा कोडक्या में रहे हैं। अपीलांट द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई वह असल रसीदात हैं। प्रश्नगत आराजी के कब्जे के बाबत जांच किये बिना अपीलीय न्यायालय द्वारा अपना निर्णय पारित किया गया है। इसलिए दोनों न्यायालयों के निर्णय व डिक्री निरस्त करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

5– विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने प्रतिउत्तर में अपीलांट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि वादी/अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अपना पुराना कब्जा साबित करने में असफल रहे हैं। वादग्रस्त आराजी से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। वादग्रस्त आराजी पर रेस्पो0 का कब्जा है तथा पूर्व में दावा कर रखा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निर्णय हैं जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6– हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदामाल तहसील के0पाटन जिला बून्दी सम्वत् 2044 से 2047 के अनुसार आराजी ख0 नं0 363 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा एवं अन्य खसरा नम्बरान कुल आराजी किता 10 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा मु0 पुष्पाबाई पुत्री जगन्नाथ कौम ब्राह्मण के नाम खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। वादी द्वारा लगान रसीदें, सिंचाई रसीदें पेश की है, उसमें आराजी विवादित का खसरा संख्या अंकित नहीं है तथा भूमिधारी का नाम बजरंग अंकित किया हुआ है जबकि लगान की रसीदें रेकार्डेड खातेदार के नाम से जारी की जाती हैं तथा जमा कराने वाले व्यक्ति का नाम अंकित किया जाता है। वादी द्वारा ढांल–बांछ की प्रतियां पेश नहीं की गई हैं। एडवर्श पजेशन के लिए अपीलांट (वादी) द्वारा पक्षकारान के वाद प्रस्तुत करने की तारीख के 30 वर्ष के पहले का कब्जा होना चाहिए। वादग्रस्त आराजी के संबंध में वर्ष 1996 में दावा किया गया है। इस प्रकार वर्ष 1966 के पहले का लगातार कब्जा सिद्व करना आवश्यक था लेकिन मौखिक साक्ष्य के अलावा ऐसा कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना साबित नहीं होता है। विगत 70 वर्ष पुराने कब्जे का अर्थ सम्वत् 1991 होता है। वादी द्वारा टिनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व की या बाद की एक भी खसरा गिरदावरी/ जमाबन्दी पेश नहीं की जिसमें भैरूलाल या वादी की काश्त का अंकन हो। इसलिए वादी कब्जे को सिद्व नहीं कर पाये हैं। वादी वाद तथ्यों को रिकार्डतः सिद्व नहीं कर पाया है। विचारण न्यायालय ने जो तनकी कायम की है वह तनकी सं0 1, 2, 3 वादी अपीलांट के विरूद्व तय की गई है। वादी/अपीलांट अपना लगातार कब्जा सिद्व करने में असफल रहे हैं। अतः विद्वान उपखण्ड अधिकारी केसोरायपाटन द्वारा वाद विधिसम्मत खारिज किया गया है जिसे विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा सही रूप से बहाल रखा गया है। विद्वान परीक्षण एवं अपीलीय न्यायालय के समवर्ती निर्णय है

जिनमें हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

7- अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के निर्णय व डिक्री दिनांक 6-6-2006 एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी केसोरायपाटन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19-4-2004 यथावत रखें जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य